2077

पत्रांक /आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/टैक्स आडिट–अनुभाग/2016–17

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।
(टैक्स आडिट–अनुभाग)
देहरादूनः दिनांक 08 जून 2016

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

// परिपत्र //

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम में टैक्स आडिट का प्राविधान धारा–25(9) के अन्तर्गतः–

उक्त धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत online Utility के माध्यम से Tax audit assessment वादों के चयन हेतु निर्धारित मापदण्डों (संलग्न–1 के अनुसार) के आधार पर वादों के चयन हेतु निम्न प्रकार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1– online Utility के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर तैयार सम्पूर्ण वादो की सूची में टैक्स आडिट ढाँचे के सापेक्ष जन शक्ति अनुसार व्यौहारियों का चयन कमिश्नर महोदय अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

2– उक्त मापदण्डो के आधार पर चयनित वादो की सूची में से उच्च रिस्क वाद टैक्स आडिट इकाई द्वारा किये जाने वाले निस्तारण के लिए चयनित किए जाऐंगे तथा शेष वाद कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा उक्त उल्लिखित बिन्दुओं (मापदण्डो) पर विशेष रूप से Focus करते हुए प्राथमिकता से निस्तारित किए जाएगें।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0 पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, मुख्यालय उत्तराखण्ड।
2– समस्त एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड।
3– ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स रिव्यू) वाणिज्य कर, देहरादून/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्ररिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्र0) वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, हल्द्वानी/देहरादून, उत्तराखण्ड।
6– समस्त अनुभाग अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

tr

संलग्नक–1

TABLE SHOWING AUDIT PARAMETERS AND ASSIGNMENT OF POINTS TO DEALER FOR SCRUTINY FROM DEEMED AND FOR AUDIT

Risk Profile of Dealer (Period of Study------------to ----------)			
Sl. NO	Category	Points & Category Dynamic	Basis/Limit of Taxable Turnover or tax taken to Categories the parameters
1	ITC Mismatch of Rs. 5 lac + claimed being purchased from cancelled dealers, non –filers, nil-filers, suspended dealers and dealers having invalid TIN	10	Excluding PSU selling dealers
2	Total Sale / Total Purchase < 1.05	10	Relating to the dealers who have taxable sale of Rs. 1 Crore +
3	Non-fillers / Nil-fillers for last One Year with tripsheet transaction of Rs. 10 Lac +	10	
4	Non-fillers / Nil-fillers for last One Year with purchase from / sold to registered dealers for Rs. 10 Lac +	10	
5	More than 1 Periodical Return has been revised And More than Once	10	And ITC Claimed as increased by 20 % + this 20 % is > Rs. 1 Lac
6	GTO > Rs. 5 Crore + Tax Deposited < Rs. 50,000	10	
7	GTO > Rs. 2 Crore and above + 50% of sale as exempt	10	
8	Sale in Transit > Rs. 1 Crore	10	
9	Sale < 80 % of Last Year	10	Dealers having GTO of Rs. 1 Crore +